



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. ए-11 (3) 2018/ पार्ट/ ई- 6828/ ई- 908456/ 573

दिनांक: 30.04.2026

नियुक्ति प्रस्ताव

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक निदेशक (सतर्कता) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक (सतर्कता) के पद हेतु गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 [वेतन बैंड-3: रु. 15600-39100, ग्रेड वेतन रु. 5400/- (संशोधन-पूर्व)] में, प्रारंभिक रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक निदेशक (सतर्कता) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाता है।

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान कार्यालय	पदस्थापन स्थान
1	श्री एस. एस. सदागोपन, वसासुस	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबतूर	चेन्नई
2	सुश्री एन. सविता, प्रव.अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय, बांद्रा (पूर्व)	बेंगलुरु
3	श्री अमित कुमार चंदन, अनु.पर्य	क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पश्चिम)	दिल्ली मुख्यालय
4	श्री मनीष, सासुस	आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़	चंडीगढ़
5	श्री ज्ञान गौरव चंद, क.विश्लेषक	दिल्ली मुख्यालय	दिल्ली मुख्यालय
6	श्री मनीष कुमार, अनु.अधि.	दिल्ली मुख्यालय	दिल्ली मुख्यालय

2. प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:


- प्रतिनियुक्ति के नियम और शर्तें, दिनांक 05.01.1994 के O.M. सं. 2/229/91-Estt./(Pay II), दिनांक 17.06.2010 के O.M. सं. 6/8/2009-Estt. (Pay II), तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशों/ज्ञापन द्वारा शासित होंगी।
- नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी की लिखित सहमति, जिसमें अधिकारी उपरोक्त नियमों और शर्तों के अधीन नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करता हो, के प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा।
- अधिकारी नियमों के अनुसार TA/DA (यात्रा/दैनिक भत्ता) और कार्यभार ग्रहण करने के समय (Joining Time) का हकदार होगा।
- यदि चयनित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दो साल पूरे होने से पहले ही वापस अपने मूल विभाग में (repatriation) जाना चाहता है, तो उसे वापसी के समय कोई स्थानांतरण यात्रा/दैनिक भत्ता नहीं

दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि अधिकारी एक साल या उससे कम समय के भीतर ही वापस जाना चाहता है, तो उसे पहले से दिया गया ट्रांसफर यात्रा/दैनिक भता, (यदि कोई हो) भी उससे वापस लिया जाएगा।

- v. पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल पूरे होने पर, यह मान लिया जाएगा कि प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होते ही अधिकारी को स्वतः ही कार्यमुक्त कर दिया गया है; बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी ने, आवश्यक स्वीकृतियों के साथ, प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने की तारीख से पहले ही, लिखित रूप में इस अवधि को आगे न बढ़ाया हो।
- vi. यदि अधिकारी किसी भी अन्य कारण से निर्धारित समय से अधिक समय तक पद पर बना रहता है, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अन्य प्रतिकूल परिणामों का भी सामना करना पड़ेगा। इन परिणामों में यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की इस अवधि को पेंशन के उद्देश्य से सेवा-काल में नहीं गिना जाएगा, और इस अनधिकृत अवधि के दौरान मिलने वाली कोई भी वेतन-वृद्धि तब तक रोक दी जाएगी (जिसका प्रभाव संचयी होगा), जब तक कि अधिकारी वापस अपने मूल केंद्र में शामिल नहीं हो जाता।

3. यदि संबंधित अधिकारी उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है, तो उसे इस नियुक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 कार्य-दिवसों के भीतर, उचित माध्यम से अपना लिखित सहमति-पत्र और नवीनतम 'सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र' इस कार्यालय में जमा करना होगा।

[सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी]


30/04/26
(विक्रम सिंह)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II (भर्ती)

सेवा में

उपरोक्त सभी अधिकारी,
(संबंधित आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से)

प्रतिलिपि (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से):-

1. केंद्रीय भ.नि. आयुक्त के निजी सचिव।
2. वि.स एवं मु.ले.अ./ मु.स.अ./ सभी अ.के.आ./ सभी अ.के.आ.(मुख्यालय)/ मुख्यालय एवं अंचल/ निदेशक, पीडीनास के निजी सचिव।
3. मुख्य अभियंता / सीटीओ / सीआईएसओ।
4. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दल।
5. सभी प्रभारी क्षे.भ.नि.आ., क्षे.का., मुख्यालय सहित ।
6. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु क्षे.भ.नि.आ., (एनडीसी)।
7. महासचिव, ईपीएफ अधिकारी संघ, लुधियाना।
8. महासचिव, एआईईपीएफएसएफ, चेन्नई।
9. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/ गार्ड फाइल।


30/04/26
(विक्रम सिंह)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II (भर्ती)